

लेखक पुष्पाङ्क ३८

ज्ञान बल्लभ पुष्पाङ्क ६



# श्रावक धर्म-अणुव्रत



लेखक-संपादक:—

चंदनमल नागोरी

छोटी सादडी (मेवाड)

लेखक पुष्पाङ्क ३८

ज्ञान वल्लभ पुष्पाङ्क ६



# श्रावक धर्म-अणुव्रत

( इस में बारह व्रत का वर्णन है )

लेखक:—

चंदनमल नागोरी



प्रकाशक:—

चंदनमल नागोरी जैन पुस्तकालय

पोस्ट-छोटी सादडी ( मेवाड )

आ. श्रीकिलाससागरसूरि ज्ञानमन्दिर

श्रीमहावीर ~~जैन~~ आराधना केन्द्र

कोवा ( गांधीनगर ) पि 302004

अमूल्य

# अर्पण पत्रिका

श्रीमती शासन वल्लभा शासन हितकरा सद्गुण सम्पन्ना  
परम विदुषी प्रवर्तिनीजी  
श्री वल्लभश्रीजी साहिबा की सेवा में  
अमलनेर

श्रीमते ! पूज्या !

आप श्रावक के अणुव्रत-बारह व्रत के विवेचन का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि श्रोताओं पर असर होता है। आपके उपदेश से अनेकों ने व्रत ग्रहण किये हैं। व्रत लेने से आत्मा को अनुपम लाभ होता है और व्रतधारी संयम में आ जाता है, इस तरह की आपकी देशाना से मुग्ध होकर यह श्रावक धर्म-अणुव्रत पुस्तक आप की सेवामें समर्पित करते हैं सो स्वीकार कर अनुग्रहित करियेगा ॥ शुभम् ॥

आज्ञाधीन-संस्था

चन्दनमल नागौरी जैन पुस्तकालय  
छोटी सादड़ी (मेवाड़)

आवाल ब्रह्मचारिणी, विदुषी पूज्या प्रवर्तिनीजी  
श्री वल्लभश्रीजी महाराज साहिबा  
जन्म वि० सं० १९५१ पौष वदि ८ (राजस्थान) लोहावट



दीक्षा वि० सं० १९६१ मंगसर सुदी ५ लोहावट (राजस्थान)  
प्रवर्तिनी पद सं० २०१० आश्विन शु० १५ छोटी सादडी



★ धन्यवाद ★

—२२२—

श्रीयुत सेठ मंगल भाई—उर्फ  
छगनलाल भाई लक्ष्मीचन्द्र  
गांव बडु निवासी ने

श्रीमती श्री कुसुमश्रीजी साहिबा के उपदेश से  
इस पुस्तक के प्रकाशन में

श्रीयुत रतीलाल भाई, बम्बई निवासी  
—: की मारफत :-

सहायता भेजी

जिसके लिए धन्यवाद

॥ अस्तु ॥

—प्रकाशक

श्रीमती पूज्या शासन हितैषिणी  
श्री कुसुमश्रीजी साहिबा की सेवा में

मु०-बम्बई

श्रीमती ! सद्गुण सम्पन्ना !

आप श्रीमती विदुषी प्रवर्तिनीजी महोदया की विद्वान शिष्याओं में से हैं, आपने बम्बई के चातुर्मास में ज्ञान प्रचार और नियम संयम में रहने के उपदेश से अच्छा प्रभाव डाला और इसी कारण संघ ने विनती कर दूसरा चातुर्मास करने की आज्ञा मांगली है। आप संघ उन्नति-ज्ञानदान और व्रत नियम संयम प्रति विशेष ध्यान देती हैं। अतः इन्हीं गुणों से आकर्षित हो इस वर्ष भी बम्बई में लाभ लिया जायगा। जिसकी विशेष प्रसन्नता है।

—प्रकाशक संस्थाके कार्यवाहक

## श्रावक धर्म-अणुव्रत



श्रावक धर्म अणुव्रत का वर्णन करते शास्त्रकारों ने कई तरह से समझाया है, और जिसके वर्णन में अंगसूत्र की रचना भी करदी। साधु धर्म बताते पांच महाव्रत और आचारांग सूत्र पृष्ठ ३८२ पर कहे अनुसार पच्चीस भावना से जिनका पालन और चरण सत्तरी करण सत्तरी के भेद बता कर महाव्रत पालन में सुविधा करदी। भगवन्त परमात्मा ने पांच महाव्रत अंगीकार किये थे, और स्वीकृति पाठ जो निज के लिए था, वही साधु पद लेते समय स्वीकार करना बताया और कहा कि यह मोक्ष पाने की कुञ्जी है। लिया हुआ महाव्रत त्रिकरणयोग से पालने वाले मुक्तिगामी होते हैं। साधु महाराज महाव्रत को सम्पूर्ण पालते रहें, इस लिए महाव्रत नाम दिया गया और यही व्रत श्रावक अमुक अंश में पालते हैं, इसलिए अणुव्रत नाम दिया गया। यहां पर श्रावक के अणुव्रत से सम्बन्ध है, जिनके नाम:—(१) प्राणातिपात विरमण व्रत



(२) मृषावाद विरमण व्रत (३) अदत्तादान विरमण व्रत (४) ब्रह्मचर्य व्रत और (५) परिग्रह परिमाण व्रत इन पांचव्रतों के पालने में तीन गुणव्रत, और चार शिचाव्रत बताकर बारह व्रत नाम प्रसिद्धि में आया। प्रत्येक व्रत के पालने में गुणव्रत की आवश्यकता होती है (१) दिक्परिमाण (२) भोगोपभोग परिमाण (३) और अनर्थदण्ड विरमण, यह गुणव्रत बताये और शिचाव्रत में (१) सामायिक (२) देशावगासिक (३) पौषध और (४) अतिथि संविभाग बताकर समझाया कि जो ऐसे व्रत ग्रहण करता है वह श्रावक कहलाता है। इस प्रकार के व्रत लेने वाले भगवन्त परमात्मा के समय में एक लाख उनसठ हजार श्रावक, और तीन लाख छत्तीस हजार श्राविकाएँ थी, जो जिन भगवान् के श्रावक कहलाते थे।

श्रावकों के लिए कई ग्रन्थ रचनाएँ हुईं, टीकाएँ, भाषानुवाद आदि से समझने के लिए सुगमता करदी और यह भी बताया कि भगवन्त के दश श्रावक आनन्द आदि जो उत्कृष्ट पालन करने वाले धनपति थे और गोकुल के प्रमाण से गायों को पालते थे। जिनके एक गोकुल में दस हजार गायें रहती थीं। इस प्रकार की सम्पत्ति वाले

होने पर भी बारह व्रत पालते थे और परिग्रह परिमाण वाले भी थे। जिनका वर्णन उपासक दशासूत्र में है और कहा है कि यह सारे ही मोक्षगामी आत्मा हुए हैं। परिग्रह का विषय सूक्ष्म दृष्टि से और स्थूल दृष्टि से समझाया और यह बता दिया कि व्रत लेने वाला सद्गति पाता है। वर्तमान काल के धनपति ऐसे व्रतों को कम लेते हैं। उन्हें तृष्णा इतनी सताती है कि वह मामूली त्याग करने को भी तैयार नहीं होते। जबकि मध्यम वर्ग के लोग व्रत लेते हैं और सुख पूर्वक उसका पालन करते हैं।

पहिला स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत—श्रावक संसारी होने से दया के प्रकार बीस विश्वा बताये जिनमें से सत्रा विश्वा पाल सकते हैं। हिंसा करना नहीं, दूसरे से कराना नहीं और जो करता हो उसकी प्रशंसा करना नहीं। दूसरा स्थूल मृषावादविरमण व्रत—पालते चार प्रकार के असत्य कथन करने का सर्वथा त्याग करना बताया। तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत—चोरी नहीं करना, जेब नहीं काटना, ताले तोड़ धन हरण नहीं करना, खात नहीं देना आदि आदि का त्याग करना बताया। चौथा ब्रह्मचर्यव्रत जिसमें स्वदारा सन्तोषी, परदारा

त्यागी, और स्वदारा में भी प्रमाण आदि उपभोग से रहने को समझाया। पांचवां परिग्रह परिमाण व्रत में भी धन सम्पत्ति अमुक प्रमाण में रख कर विशेष को शुभ कामों में व्यय करने का नियम लेकर पालन करना बताया। इन सब प्रकार के व्रतों में आगार-अर्थात् छूट रखकर नियम लेना बताया है। यहां शङ्का होती है कि आगार रख नियम कराने वाले को छूट रखी हुई बातों की क्रिया लगती है या नहीं, क्योंकि नियम में छूट रखने से नियम-दाता की सम्मति स्पष्ट रूप से होजाती है। शङ्का उचित भी है। इस विषय को समझाने के लिए एक उदाहरण है कि एक धनपति सेठ किसी कारण से कायदे की चुङ्गल में आगये। विषय गंभीर था इसलिए बचाव के लिए धारा शास्त्री खड़े किये गये। धारा शास्त्री ने कायदे की सूक्ष्म बातें बताकर सेठ को बचाने का प्रयत्न किया। ऐसा करते हुए भी न्यायाधीश के ध्यान में बात नहीं बैठी। और दीर्घकालीन कारावास देने के उद्गार निकाले। बकील ने समय सूचकता काम में लेकर कहा कि मेरा मुवकिल निर्दोष होने के सिवाय आब्ररुवाला है और जीवन में पहिली बार अदालत का मुख देखा है, इनका व्यव-

हार देखते हुए सरकार को क्षमा करना चाहिए और कायदे के अनुसार जितनी सजा कम होसके उतनी कम करना उचित है। सजा नाम मात्र की हो मेरा मुवक्किल सरकार से भिन्ना मांगता है, देने योग्य है सो दीजियेगा। न्यायाधीश ने निवेदन सुना और सातवर्ष का कारावास न देकर छैः महीने का कारावास दिया। यहां पर सोचना यह है कि वकील ने मुवक्किल को बचाते बचाते अल्प सजा देने का निवेदन कर दिया और छैः महीने का कारावास दिला दिया। कहिये ? वकील दोषी समझा जाय या नहीं ? वकील ने देखा कि मेरे मुवक्किल को सात वर्ष का कारावास होने वाला है तो जितना बचाव हो सकता हो उतना करूं। वकील ने मुवक्किल को बचाया, धनपति सेठ संतुष्ट हुए और परिश्रम भेट भी पूरी दी। इस उदाहरण से समझ लीजिये कि नियम दिलाने वाला तो सर्व प्रकार के पाप कार्यों से सर्वथा बचाना चाहता है, तो सागारिक नियम करा देने से भविष्य में विशेष प्रकार से पाप करने से बचाता है। तो भविष्य में नियमदाता को क्रिया आने का कोई सम्बन्ध नहीं रहता और आगारिक नियम लेकर विशेष रूप से पाप कृत्यों के दोष टाल जाने

का लाभ होगा और नियम ग्रहण करने वाले की भी यही भावना होती है कि बचे जितना बचा लूं । यहां शङ्का समाप्त हुई ।

केवलज्ञान पान तक के माग बतायें और कहा कि बारह व्रतधारी हो और उसमें इक्कीस गुणों का निवास हो वह (१) तुच्छ स्वभावी न हो, (२) स्वरूपवान, (३) शान्त स्वभावी, (४) लोकप्रिय, (५) क्रूरतारहित, (६) शठतारहित, (७) दाक्षिण्यवान, (८) लज्जावान, (९) दयावान, (१०) सौम्यदृष्टि, (११) गुणानुरागी, (१२) सुवार्ता करनेवाला, (१३) सत्यपत्नी, (१४) दीर्घदृष्टि, (१५) विशेषज्ञ, (१६) अपक्षपाती, (१७) ज्ञानवृद्ध, (१८) विनयवान, (१९) कृतज्ञ, (२०) परोपकारी और (२१) लब्धलक्ष गुण धारण करनेवाला हो, जिसको धर्मरत्न प्रकरण ग्रन्थ में और वृत्ति में वर्णन किया गया है । विशेष रूप से कहा है कि—

भाव श्रावक के क्रिया आश्रयी छह लक्षण होते हैं, जिनमें से प्रथम लक्षण में बारह व्रत का वर्णन किया है । दूसरे लक्षण में छह प्रकार के आचार का वर्णन है । तीसरे लक्षण में पांच प्रकार का गुणवान होने का बयान

है। चौथे लक्षण में चार प्रकार से सरल व्यवहार वाला होने का वर्णन है। पांचवें लक्षण में चार प्रकार की गुरुभक्ति का वर्णन है और छठे लक्षण में छह प्रकार से शास्त्र का ज्ञाता हो; इस प्रकार की गुणमाला जिस श्रावक में होती है वह सुश्रावक कहलाता है।

गृहस्थ बारह व्रत अङ्गीकार करता है तब पांचवें देश विरति गुणस्थान की कोटी में आता है। देश विरति के भी तीन भेद बताये हैं। प्रथम स्थूल हिंसा का त्याग, सप्तव्यसन परिहार और पञ्च परमेश्वि मंत्र का स्मरण करता हो तो ऐसा श्रावक जघन्य कोटि में माना है। दूसरा देश विरति में न्याय सम्पन्न धन पैदा करता हो, पैतीस मार्गानुसारी पर चलने वाला और अलुद्रादि इक्कीस प्रकार से धर्म योग्यता वाला हो। षट् धर्म-कर्म पालता हो, बारहव्रत का पालन करता हो और सदाचारी हो उसको मध्यम कोटि का श्रावक कहते हैं। तीसरा षट्-कर्म जिन पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, इन्द्रियदमन, तप और दान देने का गुण विद्यमान हो उसको उत्कृष्ट कोटि का श्रावक कहते हैं। उत्कृष्ट देश विरति श्रावक सचित्त आहार का त्यागी होता है। नित्य एकासना

करता है। ब्रह्मचर्य पालता हो, महाव्रत लेने की भावना वाला हो और पापकृत्य-व्यवसाय का त्यागी हो, एकादश पडिमा धारक हो वही उत्कृष्ट श्रावक होता है। वैसे देश विरति श्रावक में रौद्रध्यान जिसके चार भेद हैं, मंदगति पर होते हैं, आर्तध्यान के चार भेद हैं, वह देश विरति श्रावक में रहते हैं। परन्तु शुद्धता आती है तब वह भी मंद होजाते हैं और इनकी मंदता से धर्म ध्यान का उदय होता है। वैसे यह भी बताया है कि धर्मध्यान देश विरति में उत्कृष्ट नहीं होता। उत्कृष्टता आते ही वह महाव्रत ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से श्रावक कर्तव्य कई प्रकार से बताया गया है। और भाव श्रावक के और भी गुण होते हैं जिनका वर्णन सूत्रों में है। इस प्रकार धर्म सञ्चय करने वाले पुरुष के विषय में कहा है कि—

पुसां शिरोमणीयन्ते धर्मार्जन परानरा ।

आश्रीयन्ते च सम्पद्भिर्लताभिरिव पादपा ॥

भावार्थ—धर्म सञ्चय करने वाले पुरुष शिरोमणि कहे जाते हैं और जिस प्रकार से लताएँ वृक्ष का आश्रय लेती हैं, तदनुसार लक्ष्मी और सम्पत्ति धर्मवान पुरुष का आश्रय लेती हैं। अतः धन की कमी हो जाने से

अथवा अन्य कई प्रकार की आपत्तियां आ जायं तो भी सर्व प्राप्ति के मूल रूप धर्म की आराधना में कमी नहीं करना चाहिए। धर्माराधन नित्य करते रहना और निज-का चरित्र शुद्धमान बनाना चाहिए।

स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत—का यह मतलब है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करना, दूसरे से नहीं कराना और जो करता हो उसकी प्रशंसा नहीं करना, यही प्राणातिपात विरमण के नियम हैं। और इस तरह के नियमों का पालना कठिन बात नहीं है। श्रावक तो जन्म जात से दयावान होता है। हिंसा के कार्य देखने मात्र से ही उसे घृणा आती है, इस तरह की प्रकृति जिस श्रावक की हो उसको प्राणातिपात विरमण व्रत का बहुमान होता है। अतः श्रावक कुल में जन्म पाया हो तो यह पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत अवश्य लेना चाहिए। इस व्रत को अङ्गीकार करने वाला व्यवहार के कई अपराधों से बच जाता है। जिसके थोड़े से उदाहरण देखियेगा:—

(१) किसी को गालियां देकर दिल दुखाया हो तो धारा ३५२ में उसको दो वर्ष का कारावास होता है (२) पब्लिक मार्ग पर जीव का बध करने वाले को धारा २०६



में दो सौ रुपया दण्ड होता है (३) घात करने वाले को धारा ३०२ में मृत्यु दण्ड होता है (४) गर्भपात करने वाले को धारा ३१२ में सात वर्ष का कारावास होता है (५) आत्मघात का प्रयत्न करने वाले को धारा ३०६ में एक वर्ष का कारावास होता है (६) मृत बालक को गुप्त गाड़ दे तो धारा ३१८ में दो वर्ष का कारावास होता है (७) आक्रमण कर पीड़ा पहुंचा कर या लकड़ी या लट्ट द्वारा प्राण हरण करने से धारा ३२३ में दस वर्ष का कारावास होता है। (८) निष्कारण अटकाने से-रोक रखने से धारा ३४१ में एक वर्ष का कारावास होता है। (९) किसी की स्वतंत्रता नष्ट करने से, गुलाम बना कर रखने से धारा ३७० में छै वर्ष का कारावास होता है। (१०) पशु को बेकारण कष्ट देने से धारा ४२५ में तीन महीने का कारावास होता है। (११) मकान को आग लगाने से धारा ४३५ में सात वर्ष का कारावास होता है। (१२) किसी को डरा कर धमका कर भय पहुंचाने से धारा ५०५ में दो वर्ष का कारावास होता है (१३) व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने से धारा ५०६ में कारावास होता है। इस तरह के अपराध व्रत लेने वाले को उदय में नहीं

आते । इसलिए निज का भला चाहते हो तो नियम लीजिए कि—

निरपराधी त्रस जीव को इरादापूर्वक हिंसा करने की बुद्धि से कभी नहीं मारूंगा । देखिये आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के अनेक कार्य अनिवार्य होते हैं । यदि मकान बनाने में कुआ, तालाब पर आरम्भ करने से हिंसा की क्रिया आजाय या व्यापारिक कार्यों में कोठार भरने से, औषधादि प्रयोग में अनायास जीव हिंसा हो जाय तो जयणा रह सकती है, अतः प्राणातिपात प्रथम अणुव्रत को बिना विलम्ब के लेना चाहिये ।

इस व्रत के लेने वाले को पांच प्रकार के अतिचार से बचना चाहिए (१) जीव का वध हो जाय इस प्रकार से क्रोध करके पशु आदि—गाय, बैल, घोड़ा या और भी पशु को, पक्षी को नहीं मारना ( २ ) बंधन नाम का अतिचार—पशुओं को या और किसी को जकड़ कर नहीं बांधना (३) छविच्छेद, पशुओं के नाक में नाथ डाले और इस प्रकार के और भी कर्म हो उनका त्याग करे (४) अतिभार—अर्थात् पशुओं पर या पशु द्वारा चलने वाले वाहन में प्रमाण से अधिक वजन नहीं डालना (५)

विच्छेद—पशुओं को या और भी अपने आधीन आये हुए आत्मा को प्रमाण से अल्प आहार देना या समय पर नहीं देना और भूखे रखना, इस तरह करने से अतिचार आता है। अतः पांचों ही अतिचारों से बचना चाहिये।

आप समझ गये होंगे ! यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से पढ़ियेगा, अथवा किसी जानकार से परामर्श करिये और निज आत्म कल्याण के इस व्रत को दृढ़ता से ग्रहण करियेगा।

दूसरा स्थूल मृषावाद विरमण व्रत है। दुनिया के सारे ही धर्म सम्प्रदाय और समझदार व्यक्ति यही कहते हैं कि भूठ बोलना अपराध है। कोई भी भूठ बोलना अच्छा नहीं मानता। यदि व्यापार में, राज काज में, न्याय में, सङ्घ में आप भूठ बोला करेंगे तो आपका मान नहीं बढ़ेगा। भूठे मनुष्य की कोई कद्र नहीं करता और व्यवहार में देखें तो (१) भूठी साक्षी शपथ पूर्वक देने से धारा १७८ में छै माह का कारावास अथवा एक हजार का दण्ड होता है (२) सरकारी अधिकारियों के समक्ष किये हुये कार्य का बयान लिखित देकर दस्तखत नहीं

करने से धारा १८० में तीन महिने का कारावास अथवा पांच सौ रुपया दण्ड होता है (३) भूठी बात प्रसिद्धा पूर्वक बयान करने से धारा १८१ में तीन साल का कारावास होता है (४) भूठा कलङ्क लगाने वाले को धारा १८२ में एक हजार रुपयों का दण्ड अथवा नौ माह का कारावास होता है (५) हत्या केस में मिथ्या साक्षी देने से धारा १६४ में मृत्यु दण्ड की सजा होती है (६) भूठा खत दस्तावेज लिखने से धारा १६५ में सात वर्ष तक का कारावास होता है (७) बनावटी दस्तखत या अंगूठे का चिन्ह बनाने से धारा ४७५ में सात वर्ष तक का कारावास होता है (८) बनावटी बहियां अथवा हिसाबी आंकड़ा बनाने से या बनाने वाले को सहायता देने से धारा ४७७ में सात वर्ष तक का कारावास होता है । यदि आपने दूसरा मृषावाद अणुव्रत ग्रहण किया है तो ऊपर बताये हुए अपराध आप नहीं करेंगे । आप इस व्रत को लेंगे तो व्यवहार में आपका मान बढ़ेगा, और उत्तम पुरुष की कोटि में आ जायेंगे । जब आप इस व्रत को ग्रहण करें तब गृहस्थ के नाते पांच बड़े भूठ बोलने का त्याग कर दें ( १ ) कन्या लग्न आदि में वय अथवा

अन्य बनावटी भूठ नहीं बोलना (२) गवालिक—अर्थात् पशु के क्रय विक्रय में दुधारू का वर्णन करने में असत्य न बोलना (३) भूमि, मकान, खेत के क्रय में मिथ्या नहीं बोलना (४) थापण कोई रुपया अमानत रख जाय तो उसको इनकार नहीं करना, और प्राणांत दण्ड के अपराध जैसे मुकद्दमें में भूठी साक्षी नहीं देना। विशेष अनायास महावरे के कारण बात करते भूठ बोला जाय तो उसकी जयणा। इस तरह से दूसरा मृषावाद व्रत का पालन करने वाले को पांच अतिचार लगते हैं। जिनसे बचना चाहिये। (१) सहसात्कार—अर्थात् बिना समझे यद्वा तद्वा बोलने से (२) किसी की गुप्त बात को प्रकट करने से (३) स्वदारा आदि जो निज पर विश्वास रखते हों उनकी उनके दूषण बताकर गुप्त बात प्रसिद्ध करके उनकी आत्मा को आघात पहुंचाने से लगता है (४) भूठा लेख लिखना और असत्य उपदेश देकर किसी को दुःख पहुँचाने से लगता है (५) भूठा लेख या लिखे हुए लेख में परिवर्तन करने से लगता है। इसलिये ऐसे कार्य करते सावधान रहना चाहिए। इस तरह से इस विषय को समझ लेंगे तो पालने में कठिनता नहीं होगी और आप की पेट बढ़ेगी।

तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमणव्रत—यह चोरी का विषय है, न कोई चोरी करना चाहता है, और न चोर कर्म करने वाले की प्रशंसा करता है। साहूकार और श्रावक वर्ग तो वैसे भी चोर कर्म नहीं करते तो फिर व्रत लेने में क्या नुकसान है ? आप व्रत ग्रहण कर लेंगे तो कई बार अनायास आने वाली आपत्ति से बच जायेंगे। इस व्रत को लेते समय यह प्रतिज्ञा करनी होगी, कि चोरी नहीं करना, खात नहीं देना, ताला तोड़ धन हरण नहीं करना, जेब नहीं काटना, लटना नहीं, किसी की भूली हुई वस्तु का मालिक नहीं बनना, और राज दण्ड होने जैसा चोरी का कार्य नहीं करना। आप सोच लें भले आदमी के लिए यह व्रत पालना कठिन बात नहीं होगी। इस तरह से इस व्रत के पालने में भी पांच अतिचार लगते हैं (१) चोर से जान बूझ कर चोरी की वस्तु ली हो तो, (२) चोर को चोर कर्म करने में सहायता दी हो तो (३) चोरी वस्तु का रूप परिवर्तन कर चोर के माल को शुद्ध बनाने से (४) राज्य के विरुद्ध ऐसे चोरी जैसे कार्य किये हों तो, और (५) नाप, तोल बाट वजन बताने वाले तोल में कम ज्यादा रखे हों तो अतिचार लगता

हैं। अतः ऐसे कार्यों से बचते रहना चाहिये, यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपका मान बढ़ेगा और व्यवहार में उत्तम पुरुष की कोटि में आ जायेंगे।

चौथा स्थूल मैथुन विरमण व्रत--इस व्रत का पालन करने वाले चतुर्थव्रती को इन्द्र महाराज सभा में बैठते समय प्रणाम करते हैं। ब्रह्मव्रत के लिए कई कथाएं उपदेश और उदाहरण शास्त्र में बताये हैं। आप गृहस्थ हैं, व्यवहार भी साधना है इस लिये मर्यादा पूर्वक व्रत ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के लेने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। स्वास्थ्य सुधरता है, मस्तिष्क शक्तियां वृद्धि पाती हैं और वीर्य रक्षा से शरीर बलवान रहता है, साथ ही दुनियादारी में अनायास अथवा बिना विचारे कार्य आवेश में हो जाते हैं उनके अपराध से बच जायेंगे। देखिये--(१) स्त्री की लाज बलात्कार से लूटे तो धारा ३५४ में दो वर्ष का कारावास होता है (२) स्त्री के विरुद्ध बलात्कार से बुरे कृत्य करने से धारा ३७६ में दस वर्ष तक का कारावास होता है (३) सृष्टि के विरुद्ध कर्म करने से धारा ३७७ में दस वर्ष तक का कारावास होता है। इस तरह के अपराधों से बच सकते हैं। अतः परस्त्री

वेश्या आदि का सर्वथा त्याग कर दीजिये, और स्वस्त्री में सन्तोषी रहकर प्रमाण करिये । इस व्रत में भी पांच प्रकार के अतिचार लगना संभव है. साथही पुनर्विवाह का भी त्याग करना चाहिए ।

‘अपरिग्गहिआ इतर, अणङ्ग विवाह तिब्ब अणुरागे’, पाठ बता कर समझाया है कि “अपरिग्गहिआ” अर्थात् बिना व्याही हुई स्त्री के साथ सम्बन्ध रखना, “इतर” अर्थात् किसी की अल्प समय तक रखी हुई स्त्री के साथ प्रेम ग्रंथी, “अणङ्ग” काम क्रीड़ा अथवा विवाह सम्बन्ध, “तिब्ब अणुरागे” अर्थात् काम भोग सेवन करने की तीव्र अभिलाषा से सम्बन्ध होगया हो तो अतिचार लगता है । इस तरह का वर्णन आवश्यक सूत्र पृष्ठ ८२३ पर किया है । वैसे विषय वासना के दो भेद बताये हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल । इन्द्रियों के अल्प विकार को सूक्ष्म कहते हैं, और मन वचन काया द्वारा विषय वासना पूरी करना स्थूल विषय कहा है । गृहस्थ को स्थूल विषय का त्याग करना चाहिए । अर्थात् स्वदारा में संतोष और परदारा का त्याग । इस तरह से चतुर्थ व्रत लेने वाले मनुष्य तीन तरह के होते हैं (१) सर्वथा



ब्रह्मव्रती (२) स्वदारा संतोषी और (३) परदारा त्यागी । इस प्रकार के व्रती पुरुष में से प्रथम प्रकार के व्रतधारी को तो इस व्रत के पांचों अतिचार लगते हैं, परन्तु दूसरे तीसरे ब्रह्मचारी के विषय में मत भेद हैं ।

श्रीमान् भगवन् हरिभद्रसूरिजी महाराज ने आवश्यक सूत्र की टीका में लिखा है कि स्वदारा संतोषी को पांचों अतिचार लगते हैं, परन्तु परदारा त्यागी को पहिले के दो नहीं लगते इस तरह का वर्णन आवश्यक सूत्र की टीका पृष्ठ ८२५ पर है ।

इस विषय में दूसरा मत यह है कि स्वदारा संतोषी को पहिला अतिचार छोड़ कर शेष चार अतिचार लगते हैं । तीसरा मत यह है कि परदारा त्यागी को पांचों अतिचार लगते हैं, परन्तु स्वदारा संतोषी को दो छोड़ कर शेष तीन अतिचार लगते हैं, इस तरह से भिन्न भिन्न मत हैं ।

पञ्चाशक टीका पृष्ठ १४ और १५ पर स्पष्ट किया है कि इस विषय में पांचों अतिचार लगते हैं, और यह कथन मत भेद रहित बताया है । अतः हमें तो जो लाभ की बात हो उसे ग्रहण करना चाहिए । अब अतिचार

का भेद बता देते हैं (१) कुंवारी कन्या या वेश्या के साथ सम्बन्ध जोड़ना यह पहिला अतिचार है (२) जिस स्त्री को अल्प समय के लिए किसी ने रखी हो उसके साथ सम्बन्ध जोड़ना (३) सृष्टि के विरुद्ध काम क्रीडा करना (४) निज के पुत्र पुत्री के सिवाय किसी के ब्याह करना-कराना और (५) काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना और ऐसे विचारों में मग्न रहना, इस प्रकार के अतिचार न लग जायें जिसका ध्यान रखना चाहिए ।

कई बार चक्षु द्वारा बेकारण कर्म बंध हो जाता है, श्रवण इन्द्रिय द्वारा भी होजाता है और बुरी दृष्टि से या बुरे विचारों से मन परिणाम बिगड़ जाता है, अतः ऐसे समय में संयम रखना चाहिए ।

शीयल पालने का विशेष महत्व है,—

धन्नेणं से पुरिसे कयत्थे महाणुभावे जे णं लोग-  
लज्जाए वि सीलं पालेइ ॥

“महानिशीथ सूत्र”

ते कारण लज्जादिक थी, शील धरे जे प्राणी जी ।  
धन्य तेह कृत पुण्य कृतारथ महानिशीथे वाणी जी ॥

“श्री मद उपाध्यायजी”

महानिशीथ सूत्र में भी वर्णन है कि लोकलाज से भी जो शियल पालता है वह पुरुष धन्यवाद के योग्य है। और श्री मद् उपाध्यायजी महाराज ने भी तदनुसार वर्णन किया है, और उववाई सूत्र में कहा है कि कितने ही कुल में बाल विधवाएँ परिवार की लज्जा से ब्रह्मव्रत पालती हैं, आबरू का डर है और भी भय है; परन्तु इतना पालन करने से भी देवगति मिलती है। इसलिए विकार को रोकना चाहिए इस विषय को स्पष्ट करते सुयगडांग सूत्र में कहा है कि विकार पांच प्रकार से उत्पन्न होता है (१) मन परिचारण (२) वचन परिचारण (३) रूप परिचारण (४) स्पर्श परिचारण (५) काय परिचारण, अतः पांचों परिचारण पर संयम रखना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के सोलहवें उद्देशे में कहा है कि विकार वासना उत्पन्न होने के पांच कारण होते हैं (१) कामवर्धक मधुर शब्द (२) विकार दृष्टि (३) रूप शृङ्गार (४) कामवर्धक भोजन और (५) कामवर्धक स्पर्श, इस तरह से इन कारणों पर और मन की दौड़ पर संयम न रखा जाय तो मन काबू में नहीं आता और अधिकाधिक जागृति होती है, और जागृति से मनुष्य कामांध भोगांध बन जाता है

फिर उसको निज की आब्रू घर घराणे का ध्यान नहीं रहता और जहां तक चेष्टाएँ पूरी न हो जाय उद्वेग बढ़ता है और भोगांध की मनोकामना सिद्ध न हो तो उसको मृत्यु जैसा अनुभव होने लगता है। सुयगडांग सूत्र के बारहवां उद्देशे में कहा है कि, जो मनुष्य विषय वासना में आसक्त रहता है, और विषय वासना अतिमात्रा में है तो वह मनुष्य संसार में कई बार भव भ्रमण करेगा, और सुयगडांग सूत्र के नौवां उद्देशे में स्पष्ट कहा है कि काम वासना भव भ्रमण करने वाली होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के चौदवें उद्देशे में कहा है कि विषय विकार अनर्थ की खान है। उत्तराध्ययन सूत्र के अठारहवां उद्देशे में कहा है कि मन की अस्थिरता अव्यवस्था और चित्त की विषयासक्ति आत्मा के अनंत बल को नष्ट करने वाली होती है। और उत्तराध्ययन सूत्र के बत्तीसवां उद्देशे में कहा है कि जो जीव भोग वासना में तीव्र आसक्ति रखता हो वह पुरुष अकाल में ही मृत्यु पाता है। इस प्रकार से बहुत से प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इस व्रत को अवश्य अङ्गीकार करे।

पांचवां स्थूल परिग्रहपरिमाण व्रत--इस व्रत के

वर्णन में स्थावर जङ्गम सारी वस्तुएँ आ जाती हैं। इस व्रत को लेने से तृष्णा-लोभ पर अंकुश आ जाता है। यदि तृष्णा पर काबू नहीं आया है तो स्वर्ग का राज पाने तक की भावना हो जाती है। लोभ संज्ञा तीव्र होने से सद्गति नहीं मिलती। त्याग मूर्च्छा सहित हो वही काम आता है। जिस त्याग में मूर्च्छा नहीं है वैसा त्याग तो केवल चेष्टा रूप होता है। और मूर्च्छा सहित त्याग हो वह सोना में सुगंध जैसा माना गया है। इसलिये समझाया है कि जितना धन वैभव तुम्हारे पास हो उस से अधिक पाने की इच्छा जहां तक ठहरती हो ठहरा लो, और उस से अधिक प्राप्त हो जाय तो धर्म कार्य में व्यय करने का नियम ले लो। इस तरह करने से लोभवृत्ति पर अंकुश लग जायगा और संतोष की प्राप्ति होगी। इसलिये इस व्रत द्वारा परिग्रह का परिमाण करना चाहिये। नकद रुपया धन, धान्य, सोना, चांदी, जवाहरात, जायदाद, बरतन, फर्नीचर, आभूषण, जेवर, पशु, खेत, कूवा, बाग आदि की कीमत लिख कर एक अङ्क बना लीजिये, यदि इस तरह करने में भङ्गट मालूम हो तो नवनिध परिग्रह का समुच्चय प्रमाण अङ्क संख्या में

कर लें, और भविष्य के लिये सोचते रहें और भाग्य योग से अधिक धन की प्राप्ति हो जाय तो धर्म मार्ग में व्यय करना न भूलें ।

इस व्रत के लेने वाला दुनियादारो के कई अपराधों से बच जाता है, जिसका कुछ परिचय इस प्रकार से है ।  
लोभवृत्ति से—

- (१) खोटे सिक्के बना कर पास में रखने वाले को धारा २३१ में दस वर्ष का कारावास होता है ।
- (२) खोटे सिक्के पास में रखने वाले को धारा २४२ में तीन साल का कारावास होता है ।
- (३) खोटे तोल माप बाट रखने वाले को धारा २६४ में एक वर्ष का कारावास होता है ।
- (४) बनावटी नोट बनाने वाले को धारा ४८६ में दस वर्ष का कारावास होता है ।
- (५) लांच-रिश्वत लेने वाले को धारा १६१ में तीन वर्ष का कारावास होता है ।

इस तरह के और भी कई प्रकार के अपराधों से बच जाते हैं । इस व्रत को लेते समय निज के संयोग

देख सहस्रावधि लाख या लाखों तक जितना परिग्रह रखना हो-रख लें, और उस से अधिक का त्याग करना है, जो धन अभी तक पाया नहीं है और भविष्य में प्राप्त हो या न हो संदेह युक्त विषय है तथापि ऐसे धन का त्याग भी लाभ पहुँचाता है, और समझने वाले पुरुष आसानी से ले सकते हैं ।

इस प्रकार के पांच अणुव्रत हैं जिनके तीन गुण-व्रत हैं, (१) दिक्परिमाण (२) भोगोपभोग पदार्थ का परिमाण (३) अनर्थ दण्ड विरमण, यह तीनों व्रतधारी मनुष्य में निवास होनी चाहिये दिक् परिमाण से यह बताया है दस दिशाओं में कहां तक कितनी दूर तक जाना जिस का परिमाण करलें और यात्रा के निमित्त विशेष जाना पड़े तो जयणा । सातवां व्रत और दूसरा गुणव्रत-भोग-उपभोग में आने वाली वस्तु पदार्थ आदि का परिमाण करना और इसके चौदह नियम हैं जिन का नित्य स्मरण कर निज के लिये नित्य का नियम बना लेना, आठवां व्रत और तीसरा गुण अनर्थ दंड विरमण है जिस की व्याख्या आगे बताई जायगी, गुणव्रत के बाद चार शिद्धा व्रत हैं शिद्धा का मतलब यह है कि ग्रहण करना सद्शिद्धा पाकर उसका

पालन करना, जिस में बताया है कि नित्य सामायिक करना यह नौवां व्रत, दसवां व्रत देशावगासिक अर्थात् दिशा प्रमाण का संक्षेप करना, ग्यारहवां पौषधोपवास व्रत-साल भर में अमुक संख्या में पौषध करना, और बारहवां अतिथिसंविभाग-दान देना सत्कार करना आदि जिसका संक्षिप्त वर्णन आगे देख लेंगे ।





॥ वीराय नित्यं नमः ॥



॥ श्रावक धर्म-अणुव्रत ॥



सम्यक्त्वं मूलानि, पञ्चाणुव्रतानि गुणास्त्रयम् ।  
शिक्षापदानि चत्वारि, व्रतानि गृहमेधिनाम् ॥१॥  
“योगशास्त्र”

भावार्थ—श्रावक को समकित मूलरूप पांच अणुव्रत  
तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकार के बारहव्रत  
को अङ्गीकार करना चाहिये ।

व्रत ग्रहण करने वाले को मूल समकित विशुद्धि  
पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए, समकित सर्व क्रियायों  
का बीज रूप है जिस मनुष्य को श्रद्धा शुद्ध न हो पाई  
हो तो अपार क्रिया करने पर भी सम्यग् फल के देने-

वाली नहीं होती, समकितधारी आत्मा शुद्धदेव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म को मानता है ।

**शुद्ध देव किसको कहते हैं ?**

हास्यादिषट्कं चतुरः कषायात् ।

पंचाश्रवान प्रेममदौ च केलि ॥१॥

भावार्थ—शुद्ध देव में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगच्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, प्रेम, मद और क्रीडा इस तरह के अट्टारह दोष नहीं होते ।

शुद्ध गुरु—कञ्चन कामनी के त्यागी पांच महाव्रत को पालने वाले और धर्म की शुद्ध व्याख्या करने वाले हों ।

शुद्ध धर्म—केवली भगवन्त भाषित अहिंसा संयम तप प्रधान हो ।

व्रतधारी सोचता है कि मुझे शुद्ध देव, गुरु, धर्म मान्य है । संसार व्यवहार से कारणवशात् अन्य देव गुरु को वन्दन करना पडे तो जयणा । विस्मरण होने से अदेव को देव, अगुरु को गुरु और अधर्म को धर्म कहना अथवा कारणवशात् मानना पडे तो जयणा ।

धर्म विरुद्ध कार्य-लोक व्यवहार और लोक विरुद्धता से बचने के लिये अनिवार्य योग प्राप्त होने से करुं अथवा व्यवहार से प्रणाम नमस्कार करुं तो जयणा ।

निस्संक्रिय निकं खिय, निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठि अ ।  
उववूह थिरीकरणे वच्छल्ल पभावणे अट्ट ॥

भावार्थ—(१) निशङ्कता-वीतराग भगवन्त के वचन में शङ्का नहीं करना (२) कांच्चारहित-जो वीतराग भाषित नहीं है उस की चाहना नहीं करना (३) निःसंदेह-त्यागियों के त्यागवृत्ति के कारण वस्त्रादि की मलीनता पर घृणा नहीं करना धर्म के फल में संदेह नहीं करना (४) मोह रहित दृष्टि-धर्महीन मिथ्यावादी के बाह्याडम्बर को देख कर सत्य मार्ग से पतित नहीं होना (५) उपबृंहण-समकितवन्त आत्मा के अल्पगुण की भी प्रशंसा करना और वचन द्वारा प्रोत्साहित करना (६) स्थिरकरण-धर्म रहित आत्मा को धर्म में लगाना और धर्मी आत्मा कारणवशात् पतित होता हो तो उनको स्थिर करना (७) वात्सल्यता-स्वधर्मी भ्राता के हित की ओर ध्यान देना (८) प्रभावक-ऐसे कार्य करना कि जिन को देख कर लोग श्रद्धा

---

वान बनजायें, धर्म की प्रशंसा करे और धर्म को प्रभावना हो

### प्रथम स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत—

इस व्रत को अङ्गीकार करते समय प्रतिज्ञा करिये कि निरपराधी त्रस जीव को सङ्कल्प पूर्वक मारने की बुद्धि से नहीं मारुंगा। जहां तक हो सकेगा जीव रक्षा करुंगा परन्तु व्यवहार से मकान, दुकान, कूवा, बावडी, बागायत आदि कराना पडे तो जयणा से बरतुंगा खेती के लिये करना पडे तो उपयोग रख कर जयणा पूर्वक उपयोग सहित करुंगा औषधादि बनाने में या ऐसे अन्य कार्यों में योग देना पडे तो व्रत को दूषण नहीं आने दूंगा और सर्व करते कराते क्रिया आ जाय तो जयणा। इस व्रत में पांच अतिचार बताये हैं।

प्रथम क्रोध सहित पशु पक्षी आदि को क्रूरता से मारने पर अतिचार लगता है। दूसरा बंध-पशु आदि को गाढ बंधन से जकड कर बांधने से अतिचार लगता है। तीसरा छविच्छेद-पशु आदि का नाक-कर्ण छेदन करने कराने से अतिचार लगता है। चौथा अतिचार-पशुओं पर अथवा पशु द्वारा खेंचे जाय ऐसे वाहन में अधिक वजन डालने से अतिचार लगता है। पांचवां-

---

पशु प्राणी पक्षी-पंखेरु को नित्य की खुराक में कमी करना एवं समय पर नहीं देने से अतिचार लगता है ।

## दूसरा स्थूल मृषावादविरमण व्रत—

इस व्रत का यह तात्पर्य है कि पांच बातों में बड़ा भूठ नहीं बोलना चाहिये (१) कन्या के सम्बन्ध में, भूमि, पशु, प्राणी के क्रय विक्रय में अनहोनी बात नहीं करना (२) गवालिक-पशु, दुधारु पशु के सम्बन्ध में दूध, घी का बयान करते अनहोनी बात नहीं कहना (३) भूम्यालिक-भूमि, खेत, मकान, बाग आदि के क्रय विक्रय में भूठ नहीं बोलना (४) थापणमोसो-जमा थापण से इन्कार नहीं करना, वैसे विश्वास से रख गया हो उसे नहीं दवाना (५) मिथ्यासाक्षी-भूठी गवाही नहीं देना देहांत दंड से बचाने के हेतु करना पडे सो जयणा ।

इस तरह व्रत लेने पर व्यवहार से कुछ कहा जाय किया जाय और स्वभाव के कारण बोला जाय तो पांच अतिचार लगते हैं ।

प्रथम अतिचार अधिक बोलने की आदत से अनुचित कह दिया जाय तो अतिचार लगता है । दूसरा- किसी पुरुष की गुप्त बात को प्रगट करना, अनहोनी बात कह कर किसी को बदनाम करने के लिये प्रपञ्च

कर के लोभ पहुंचाने से अतिचार लगता है। तीसरा विश्वस्त मंत्र भेद विश्वासु निज की भार्या के दूषण अथवा गुप्त बात प्रगट करने से मंत्र भेद और विश्वास भंग करने से अतिचार लगता है। चौथा मिथ्या उपदेश देकर खोटी सलाह देकर प्रपञ्च से किसी को लोभ दुःख पहुंचाने से अतिचार लगता है। पांचवां असत्य लेख, बनावटी खत भूठा दस्तावेज लिखने से और भूठी गवाही देने से अतिचार लगता है।



### तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत—

इस व्रत को लेते समय सावधानी से समझ लीजिये कि (१) किसी के यहां खात नहीं देना दूसरे से नहीं दिलाना (२) गांठ छोड कर वस्तु नहीं निकालना (३) जेब काट कर वस्तु नहीं निकालना (४) चोरी करने के हेतु ताला नहीं तोडना, किसी प्रकार से चोरी नहीं करना (५) धाडा ढाका नहीं डालना (६) किसी की भूली हुई पडी हुई वस्तु छिपाना नहीं (७) राज शिक्षा दे ऐसी चोरी महसूल आदि की नहीं करना लोक व्यवहार का भय रखना। इस प्रकार के व्रत में पांच अतिचार का आना संभव है।

प्रथम—(१) चोर के पास से चोरी की वस्तु जान बूझ कर लेना (२) चोर को चोर कर्म करने में सहायता देना (३) चोरी की वस्तु के रूप को बदलना, स्वच्छ वस्तु में अशुद्ध वस्तु का मिश्रण करना (४) राज्य की ओर से निषेध किया हो उस आज्ञा का भंग करने से (५) खोटे तोल माप रखने से अतिचार लगता है।



## चौथा स्थूल मैथुन विरमण व्रत—

इस व्रत को ग्रहण करते समय ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। जिस से व्रत निभाने में दूषण नहीं आवे। इस व्रत को लेते समय पुरुष निज के लिये, स्त्री निज के लिये लिया हुआ समझें। स्वस्त्री में संतोष करे और परस्त्री का सर्वथा त्याग करे, स्वस्त्री पति में संतोष करे और पर पुरुष का सर्वथा त्याग करे। विशेष तिर्यञ्च अथवा नपुंसक के साथ विषय सेवन का सर्वथा त्याग करे। स्वप्रादि में स्खलना हो जाय तो जयणा। स्वस्त्री में भी हो सके तो पांच तिथियों का शियल पाले और भावना शुद्ध रखे।

इस व्रत में पांच अतिचार लगना संभव है। (१) अपरिग्रहीता गमन-स्त्री किसी की ग्रहण की हुई नहीं हो उस के साथ सम्बन्ध करने से (२) ईत्वरपरिग्रहितागमन-अमुक समय के लिये वैश्या को किसी ने रखी हो उस के साथ विषय सेवन करे तो अतिचार लगता है, परन्तु स्वदारा संतोषी के लिये तो यह दोनों अतिचार अनाचार में आजाते हैं। (३) अनङ्ग क्रीडा-अङ्ग-उपाङ्ग विषय दृष्टि

से देखे, हाथ कुल्ल नहीं आता परंतु रूप और अङ्ग देखने से भाव बिगड जाय तो अतिचार (४) परविवाहकरण-औरों के लग्न-विवाह सम्बन्ध कराना (५) तीव्राभिलाष-कामचेष्टा की तीव्र अभिलाषा करने से अतिचार लगता है । अतः अतिचारों से बचना चाहिये ।

## पांचवां स्थूल परिग्रहपरिमाण व्रत—

परिग्रह का प्रमाण करने से आशा-तृष्णा सीमा में आ जाती है। और एक प्रकार से अधिक प्राप्ति पर मूर्च्छा हो जाती है, इसलिये इस व्रत द्वारा परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। रोकड, धन, धान्य, सुवर्ण, चांदी, जवाहरात, जायदाद, बरतन, फर्नीचर, आभूषण-जेवर, पशु, खेत, कूवा, बाग आदि की कीमत लिख एक अंक बना लीजिये, यदि इस प्रकार करने में झंझट मालूम होती हो तो नवनिध परिग्रह का समुच्चय प्रमाण अंक संख्या में कर लें और भविष्य के लिये सोचते रहें कि विशेष उत्पन्न हो जाय तो शुभ मार्ग में व्यय कर देना, इस व्रत में भी पांच अतिचार लगना संभव है।

(१) धन धान्य परिमाणातिक्रम-नियम से अधिक धन की प्राप्ति होने पर पुत्र स्त्री के नाम कर देने से अतिचार लगता है। (२) क्षेत्र परिमाणातिक्रम-खेत आदि नियम से अधिक रखने से अतिचार लगता है। (३) सोना, चांदी आदि नियम से अधिक रखने से अतिचार लगता है। (४) तांबा, पीतल आदि धातु के बर्तन अधिक रखने

---

से अतिचार लगता है । (५) दास, दासी, नोकर, चाकर, गाय, भैंस आदि नियम से अधिक रखने से अतिचार लगता है ।

## छठा दिशा परिमाण व्रत—

चार दिशा, चार विदिशा, उर्ध्व और अधो मिलाने से दश दिशायेँ होती है। इन दिशाओं में अमुक माइल तक पर्यटन करना, तार, पत्र, अखबार, औषधी मंगवाते और खेपिया भोजना हो तो जयणा। इस व्रत में पांच अतिचार इस प्रकार हैं। (१) उर्ध्वदिक्परिमाणातिक्रम-नियम से अधिक ऊँचा जाना (२) अधोदिक्परिमाणातिक्रम-नियम से अधिक नीचे जाना (३) तिच्छर्द्वादिक्परिमाणाति-क्रम-चार दिशा विदिशा में नियम से अधिक जाना (४) क्षेत्रवृद्धि-सर्व दिशाओं के माइल को जोड कर एक दिशा में अधिक जाना (५) स्मृति अंतर्धान-नियम विस्मरण हो जाने से संदेह हो जाने पर भी अधिक जाना।

## शातवां भोगोपभोग विरमण व्रत—

भोग—एक बार काम में आने वाली वस्तु जैसे जिन, पान, विलेपन आदि जो एक बार ही काम में जाने वाली वस्तुएँ ।

उपभोग—जो वस्तु अनेक बार काम में ली जाती है, आभूषण, वस्त्र, स्त्री, वाहन, मकान, फर्नीचर आदि का प्रमाण गिनती से या वजन से करना चाहिए ।  
के चौदह नियम बताये हैं जिन का संक्षिप्त इस प्रकार है—

चेत्त वस्तु—मुख में लेने का प्रमाण ।

ध—मुख में जितनी वस्तु डाली जाय उनका स्वाद ग अलग हो तो द्रव्य संख्या प्रमाण करना ।

य—अर्थात् घृत, तेल, दूध, दही, गुड और कड़ाई छे विगयों में से हो सके जितनी का त्याग करना, में कच्ची विगय या मूल से जिस प्रकार इच्छा त्याग करना ।

इ—उपानह, अर्थात् पांव रक्षा पगरस्त्री, बूट, आदि की संख्या का प्रमाण करना ।



## श्रावक धर्म-अणुव्रत

- (५) तंबोल—सुपारी; इलायची आदि मुखवास की वस्तुओं का वजन से प्रमाण करना ।
- (६) वत्थ--दिन रात में वस्त्र-कपड़े आदि काम में लिये जायं जिन की संख्या का प्रमाण करना ।
- (७) कुसुमैसु—सूधने की वस्तु के वजन का प्रमाण करना ।
- (८) वाहन--गाडी, घोड़ा, ऊंट, मोटर, जहाज आदि फिरते चलते, तैरते, उडते वाहन की संख्याका प्रमाण करना ।
- (९) शयन—उपभोग में आने वाली रजाइयां, गादियां, शाल, दुशाले, पलंग आदि की संख्या का प्रमाण करना ।
- (१०) विलेपन--शरीर पर, सिर पर मालिश करने कराने की वस्तु का प्रमाण करना ।
- (११) ब्रह्मचर्य—पालन करने के लिये यथा शक्ति नियम लेना ।
- १२) दिशा—दश दिशाओं में जाने का प्रमाण करना ।
- १३) न्हाण—स्नान करने की गिनती का प्रमाण करना धार्मिक क्रिया के हेतु अधिक बार स्नान करना पडे तो जयणा ।
- (१४) भत्तेसु—भोजन पान की वस्तुओं का वजन रखना ।

इस प्रकार से चौदह नियम नित्य धारना जिस में संयोगानुसार कम या अधिक रख सकते हैं । इसके

अतिरिक्त (१) पृथ्वीकाय-कच्ची मिट्टी, गार, निमक (२) अप्पकाय-पानी, (३) तेऊकाय-चूला सगडी दीपक, (४) वायुकाय-पंखा, हिंगराट, हिंडोला, भापट, (५) वनस्पति काय-उपयोग में आने वाली हरी साग, फल, पुष्प, का तोल से प्रमाण करना। (६) असि-हथियार, चाकू, कैंची, सरोता, सुई, सोया आदि का संख्या प्रमाण (७) मसी-दवात कलम पेन पेंसिल की गिनती। (८) कृषि-हल, फावडा, कुदाली, बेंती आदि इन सबका गिनती से प्रमाण करना।

सातवां व्रत के पालन में पांच अतिचार का ध्यान

१) सचित्त-वस्तु पान करने से (२) सचित्त प्रति-बंध आहार, सचित्त के साथ लगी हुई अन्य वस्तु पान करने से (३) अपक्व आहार, बिना पकी वस्तु पान करने से (४) दुष्पक्व आहार-अशुद्ध और मिश्रित पकी हुई वस्तु पान करने से (५) तुच्छौषधि-भक्षण-अर्थात् खाने में कम आवे और फैंकने में विशेष आवे ऐसी वस्तु जैसे गन्ना, बेर, अनार, सीताफल, टीमरु, खजूरा आदि इन सब का प्रमाण-त्याग आदि करना, इस प्रकार से पांच अतिचार लगते हैं, और पन्द्रह कर्मादान

---

के मिलाने से बीस अतिचार होते हैं ।

## आठवां अनर्थदंडविरमण व्रत—

क्रीडा कुतूहल के लिये पशु पक्षी आदि को पीञ्जरे में नहीं डालना, और हिंसक जानवर का संग्रह करना उचित नहीं है ।

हाथी, घोडा, सांड, मुर्गा, बंदर, सर्प, नोलिया आदि की परस्पर की लड़ाईयां देखने नहीं जाना, मार्ग में जाते आते अनायास दृष्टि में आ जाय तो जयणा । किसी को सूली फांसी पर चढाते समय देखने नहीं जाना । बिना कारण हरि वनस्पति को चूटना नहीं, और घट्टी, ऊखल, मूसल, हल, मांगे हुए नहीं देना, घर के काम में लिये जाय उस की जयणा ।

इस व्रत के पांच अतिचार हैं (१) कंदर्प-विषय विकार की वृद्धि हो, ऐसी कुचेष्टा करना (२) कोकुच्य-विषयविकार-काम उत्पन्न हो वैसी वार्ता करना (३) मौखर्य-मुख से हास्यादिक-स्मित करके किसी को दुःख पहुंचाना वचन बाण से आघात पहुंचाना । (४) प्रयक्ताधिकरण-निज के

---

में आवे उस से अधिक वस्तु तैयार रखना । इस तरह की प्रवृत्ति रखने से अतिचार लगता है ।

## नौवां सामायिक व्रत—

सामायिक का फल तो पारावार है, ।: य एक अथवा अधिक सामायिक करना चाहिए। शरीर के कारण न बन सके तो अथवा आधिव्याधि उपाधिक कारण नहीं हो सके तो पांच तिथि अवश्य करना चाहिए।

सामायिक व्रत के पांच अतिचार हैं, (१) मन दुःप्रणिधान- अर्थात् कुविकल्प विचार करके दुषित होना। (२) वचन दुःप्रणिधान-अर्थात् सावद्य वचन बोल कर क्रिया को दूषणवाली बनाना (३) काय दुःप्रणिधान-सामायिक करते समय दीवार का सहारा लेना अङ्गोपाङ्ग फैलाना (४) अनवस्था दोष-समय पूरा होने से पहिले सामायिक पारना (५) स्मृति विहीन-सामायिक लेने का समय याद रहने से अथवा सामायिक पारना भूल जाय तो इस तरह की क्रिया से अतिचार लगता है।



## दशवां देशावगासिक व्रत

दसवां व्रत छठे व्रत को संक्षेप करने के हेतु से है हाल में ऐसी प्रथा है कि एकासना, आंयबिल या उपवास करके एक साथ दस सामायिक करते हैं। सामायिक काल में व्याख्यान श्रवण, ध्यान, अध्ययन स्मरण पाठ इच्छानुसार करते हैं। ऐसे व्रत वर्ष में जिनने किये जाय उतनी संख्या लिख लेना। ऐसा लेख भी मिलता है कि आठ सामायिक और दो टंक प्रतिक्रमण करना।

इस व्रत के पांच अतिचार हैं (१) अनयन प्रयोग-नियम उपरांत की भूमि से वस्तु मंगवाना (२) प्रेष्य प्रयोग-नियम से विशेष दूर वस्तु भेजना (३) शब्दानुपात-शब्द द्वारा हृद् बहार से वस्तु मंगवाना (४) रूपानुपात-स्वरूप-रूप दिखा कर नियम उपरांत दूर से वस्तु मंगवाना (५) पुद्गल प्रक्षेप-कंकर आदि फेंक कर इशारा करके नियम विरुद्ध वस्तु मंगवाना।



## विशेष वर्णन

## ग्यारहवां पौषध व्रत—

प्रति वर्ष आठ पहर या चार पहर के कितने पौषध करना जिस की संख्या निर्धारित करना । वैसे पौषध व। सामान्य अर्थ और प्रकार इस तरह है ।

- (१) आइस पौषध-देश से एकासना आयंबिल करके करना ।
- (२) शरीर सत्कार पौषध-शरीर का सत्कार नहीं करना ।
- (३) अव्यापार पौषध-संसार के सारे व्यापार बंध करना ।
- (४) ब्रह्मचर्य पौषध-ब्रह्मचर्य पालन करना-पौषध में चार प्रकार के व्यापार का त्याग होता है प्रथम आहार पौषध में देश से एकासना, आयंबिल और उपवास करके किया जाता है ।

इस व्रत के पांच अतिचार (१) अप्रतिलेखित शैया सोने की जगह और बिछाने का संधारिया की पडिलेहण बराबर न की हो । (२) अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित शैया संस्तारक बराबर पुंजा न हो प्रमार्जित न किया हो (३) अप्रतिलेखित—दुष्प्रतिलेखित-स्थंडिल जाने की जगह बराबर पडिलेहण न की हो (४) अप्रमार्जित-दुष्प्रमा-

र्जित, उच्चर पासव्रण भूमि स्थंडिल मात्रा की जगह का प्रमार्जन न किया हो (५) पौषध विधि-पोषध समय पर न लेना और समय से पहले पारना, इस तरह के पांच अतिचार न लग जाय जिनका ध्यान रखना चाहिए।

### विशेष वर्णन

## बारहवां अतिथि संविभाग व्रत—

इस व्रत में मुख्यतया चक्रविहार उपवास वाला पौषध के पारने के दिन एकासना करे, जिन पूजा करे और मुनिराज को लावे और जितनी चीज मुनिराज बहोरें उतनी प्रमाण में वस्तु लेकर पारना करे, या जितने द्रव्य मुनिराज लेवें उतने द्रव्य से पारना करे, इस तरह का योग प्राप्त न हो तो व्रतधारी श्रावक को भोजन कराने बाद पारना करे, इस व्रत में और भी आगार रखना हो तो नोंध कर लेना और वर्ष में कितनी बार अतिथि सत्कार करना है, संख्या में निर्णित कर लेना।

इस व्रत के पांच अतिचार १) सचित्त निक्षेप-सचित्त वस्तु अचित्त वस्तु में मिला कर बोहराना (२) सचित्त-पिधान-सचित्त वस्तु से ढांकी हुई अचित्त वस्तु बोहराना (३) अन्य व्यप देश-अपनी वस्तु औरों की बता कर देने से इन्कार करना-अथवा औरों की वस्तु निज की बता कर बोहराना (४) समत्सरधन-मत्सर कर के दान देना (५) कालातिक्रम-बोहरने का समय हो जाने बाद जा कर गौचरी के लिये लाने का आग्रह करना, इस तरह

---

के दोष से वंचित रहना ।

विशेष वर्णन

## मिठाई का और पानी का काल

- (१) कार्तिक सुदी १५ से फागुन सुदी १४ तक मिठाई का काल एक महिना, पानी का काल चार पहर ।
- (२) फागुन सुदी १५ से आषाढ सुदी १४ तक मिठाई का काल बीस दिन, पानी का काल पांच पहर ।
- (३) आषाढ सुदी १५ से कार्तिक सुदी १४ तक मिठाई का काल पन्द्रह दिन, पानी का काल तीन पहर ।

## नियम धारने का परिशिष्ट

जिन पुरुषों को नियम की विगत स्मरण न रह सके और इस कारण से नियम लेने में बाधा आवे उन पुरुषों के लिये परिशिष्ट दिया जाता है सो इस का अभ्यास करते रहें । थोड़े अभ्यास के बाद नियम याद करने से अधिक सुविधा होगी ।

| नाम         | कितना काम में लेना | कितना लिया | लाभ में |
|-------------|--------------------|------------|---------|
| सचिक्त      | १०                 | ६          | ४       |
| द्रव्य      | २५                 | १५         | १०      |
| विगई        | ५                  | ४          | १       |
| वाणह        | २                  | २          | ५       |
| तंबोल       |                    |            |         |
| वस्त्र      |                    |            |         |
| कुसुम       |                    |            |         |
| वाहन        |                    |            |         |
| शयन         |                    |            |         |
| विलेपन      |                    |            |         |
| ब्रह्मचर्य  |                    |            |         |
| दिशी        |                    |            |         |
| स्नान       |                    |            |         |
| भात पाणी    |                    |            |         |
| पृथ्वी काय  |                    |            |         |
| अप काय      |                    |            |         |
| तेज काय     |                    |            |         |
| वायु काय    |                    |            |         |
| वनस्पति काय |                    |            |         |
| असि         |                    |            |         |
| मसि         |                    |            |         |
| कृषि        |                    |            |         |

## सात व्यसन

द्यूत, मांस, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरकर्म, परस्त्रीगमन, यह सर्वथा त्याग करने योग्य हैं ।

## बाइस अभक्ष

(१) शहद, (२) मक्खन, (३) मदिरा, (४) मांस, (५) उंबर फल (६) बडके फल (७) कोठीबडा (८) पीपल पेपडो (९) पीपल फल, (१०) बरफ, (११) अफीम, (१२) करा बरसाद का बरफ, (१३) कच्ची मिट्टी, (१४) रात्रि भोजन, (१५) बहुबीज, (१६) अथाणां (बोल) (१७) विहल. (१८) रींगणा, (१९) अजाना फल, (२०) तुच्छ फल, (२१) चलितरस, (२२) अनंत काय.

## बत्तीस अनंतकाय

(१) सुरणकंद (२) लसण (३) हरी हलदी (४) आलू (५) कचूरा (६) सतावरी कंद (७) ह्रीरली कंद (८) कुंवार पाठा (९) थोर (१०) गळोय (११) सकरकंद (१२) वंश करेला (१३) गाजर (१४) मक्खन (१५) लोढी (१६)



गीरीकर्णिका (१७) कोमल पत्ते (१८) खरसैया (१९)  
थेक की भाजी (२०) हरी मेथी (२१) लुली के भाड की  
छाल (२२) खीलौडा (२३) अमृतवेल (२४) मूला कंद  
(२५) भूमिफोडा (२६) कोमल अंकुर (२७) बाथला के  
पत्ते (२८) सुवेर वेल (२९) पालका के पत्ते (३०) कुणी  
आंबली (३१) रतालु (३२) पिंडालु.

## पन्द्रह कर्मादान

पन्द्रह कर्मादान त्याग करने योग्य होते हैं जिनका  
वर्णन गुरु महाराज से समझ लेना चाहिए ।

## लीलोतरी त्याग

लीलोतरी अर्थात् वनस्पति लाखों की संख्या में है,  
मनुष्य के सारी वनस्पतियां भोग में नहीं आती, बहुत  
कम वनस्पति काम में आती है जिनका प्रमाण कर  
अधिक वनस्पति का त्याग करना चाहिए । यदि त्याग न  
किया जाय तो क्रिया आती है । कहने वाले कहेंगे कि जो  
वस्तु काम में न आई हो उसकी क्रिया हमें किस प्रकार  
लगती है ? उत्तर स्पष्ट है कि मनुष्य जन्म पाने से पहले

आत्मा ने अनेक भव किये हैं, और उन भवा म भाग उपभोग के अनेक स्वाद लिये हैं। कोई वस्तु बाकी नहीं रहती कि जिसका भोग उपभोग नहीं किया हो, पिछले अनेक भवों में आत्मा सर्व पदार्थों का भोक्ता बन चुका है। इस अपेक्षा से भोगी हुई वस्तु का त्याग करने में तो केवल मनुष्य भव ही है। यदि मानव भव में त्याग करना उदय में नहीं आया तो समझलो कि पशु जीवन-जी रहे हो, अतः यह लाभ तो बिना कष्ट के उपयोग द्वारा ले सकते हैं। त्याग भावना के लिये तो मानव भव ही श्रेष्ठ माना गया है, त्याग-तप, जप, नियम-संयम तो अनेक भवों में भविष्य में लाभ देने वाले होते हैं, इन के करने से पुन्यायी पैदा होती है, त्याग तपस्या भी मूर्च्छा सहित होना चाहिए जिस त्याग में मूर्च्छा नहीं है वह त्याग लाभ नहीं पहुँचाता, जो लोग लीलोतरी का त्याग कर सुखोतरी काम में लेते हैं, और जो लोग जमीकंद का त्याग कर सूखा हुआ कंद काम में लेते हैं उन को तो अधिक क्रिया आती है और ऐसी प्रकृति वालों से न स्वाद बूटता है, न मूर्च्छा आती है। सुखोतरी करने में तीन गुनी वनस्पति सुखाई जाती है और फिर उस पर वैसे

ही वर्णों की फूलन जमना संभव है, अतः आत्मा पर संयम रखना चाहिए। मनुष्य भव बारबार नहीं मिलता त्याग तप किये वगैर मानव भव यूँही चला जाता है अतः आत्म हित और कल्याण के लिये त्याग करना उचित है।

## हरी साग और फल के नाम

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| १. अनार          | २. अमरूद          |
| ३. अदरक          | ४. अन्नास         |
| ५. आम-केरी       | ६. अजबान के पत्ते |
| ७. आम पके हुए    | ८. अफीम के पत्ते  |
| ९. अफीम की गांदर | १०. आलडी-दूदी     |
| ११. अंगूर        | १२. अंजीर         |
| १३. आंवला        | १४. काचरी         |
| १५. काकडी सियालु | १६. काकडी उनालु   |
| १७. केरा         | १८. काचरा         |
| १९. कोला         | २०. कोला सफेद     |
| २१. करमदा कच्चा  | २२. करमदा पक्का   |
| २३. करेला        | २४. करेला-मार     |

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| २५. केरा लाल      | २६. केरा कोकनी     |
| २७. कच्ची इमली    | २८. खरबूजा         |
| २९. खजूरा         | ३०. खट्टे के पत्ते |
| ३१. गलक्या        | ३२. गेहुं की ऊंबी  |
| ३३. गवार पाठा     | ३४. गवार फली       |
| ३५. गुलाब के फूल  | ३६. चंवरा की फली   |
| ३७. चीकू          | ३८. चंदरोई         |
| ३९. चने नीलबा     | ४०. चने के पत्ते   |
| ४१. जौ की ऊंबी    | ४२. जारी बेर       |
| ४३. जांबू         | ४४. टमाटर          |
| ४५. टींडोरी       | ४६. टीमरु          |
| ४७. तरोई          | ४८. तरबूज          |
| ४९. तुलसी पान     | ५०. दातून बंबूल    |
| ५१. दातून नीम     | ५२. दातून उमर      |
| ५३. धनिया         | ५४. नींबू कागदी    |
| ५५. नींबू मीठा    | ५६. नीली हलदी      |
| ५७. नीली कालीमिरच | ५८. नारियल         |
| ५९. नारंगी        | ६०. पालक           |
| ६१. पान नागर बेल  | ६२. पोदीना         |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ६३. परवल           | ६४. पान गोबी      |
| ६५. फालसा          | ६६. फूल गोबी      |
| ६७. फूंकडा जुवार   | ६८. बेर पेमली     |
| ६९. बाजरा के सिंठे | ७०. भींडी         |
| ७१. भुट्टा मकई     | ७२. मेथी के पत्ते |
| ७३. मूली के पत्ते  | ७४. मूली          |
| ७५. मटर की फली     | ७६. मटर दक्षिणी   |
| ७७. मूंगफली नीली   | ७८. मतीरा         |
| ७९. मोगरी          | ८०. मोसमी         |
| ८१. मिरच पतली      | ८२. मिरच जाडी     |
| ८३. लीची           | ८४. रायण          |
| ८५. बालोर          | ८६. वाथूला        |
| ८७. बीजोरा         | ८८. सेव-नाशपाती   |
| ८९. सफर जंग        | ९०. सांठा पौंडा   |
| ९१. सांठा गुंदगरी  | ९२. सांठा भरडा    |
| ९३. सरजना की फली   | ९४. सींगोडा       |
| ९५. सीताफल         | ९६. हजार काकडी    |
| ९७. आपी            |                   |

एक रुपये

:-: में :-:

सात क्षेत्र का लाभ

श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ के

सदस्य बन कर

पुण्य सञ्चय करिये

सदस्य शुल्क १) रुपया सिर्फ

सेवा संघ समाज की सेवा करने में आपका सहयोग चाहता है एक रुपया वार्षिक देना बड़ी बात नहीं है। बगैर विलम्ब पत्र लिखिये।

मंत्री—प्रतापमलजी सेठिया

श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ

३८ मारवाडी बाजार, बम्बई २.

मुद्रक—पं० ईश्वरलाल जैन "स्नातक"

आनन्द प्रिंटिंग प्रेस

गोपालजी का रास्ता, जयपुर।